राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार कठूमर जिला अलवर (राज0)

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का ईशरौता बनाम जवाहर S/O रुपा जाट

निर्णय

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :– RA/11 निर्णय दिनांक :– 12/3/2022

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम काँकरोली की आ0 ख0 नं0 469 कुल रकबा 0-71 किस्म जमीन चारागाह में से 0.05 रकबे पर श्री जवाहर पुत्र रुपा जाट काँकरोली पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर घरसोवकर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का ईशरौता मसारी द्वारा दिनांक 27/1/2022 को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू0 अ0 निरीक्षक टिटपुरी के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी जवाहर पुत्र रुपा जाट जाति जाट निवासी काँकरोली को भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी जवाहर पुत्र रुपा जाट काँकरोली उपस्थित नहीं हुआ/हुआ। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है। जिसमें अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण हटाने की लिखित सहमति दी गई।

उक्त रकबा आ0 ख0 नं0 469 रकबा 0-71 है0 में से 0.05 है0 रकबे किस्म चारागाह है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल व फसल निलामी किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 14 Paise का 50 गुणा 7/- (Seven Rs) रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है। मांग कायमी हेतु टी.आर.ए. को लिखा जावे। पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी ईशरौता भू0 अ0 निरीक्षक टिटपुरी को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
तहसीलदार
तहसील (कठूमर)